

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.3(ई)(1)(6)/एसीपी/2024-25/अलेसे-II/ 5782

दिनांक:- 25.03.2025

आदेश संख्या:-

विभागीय आदेश संख्या 581/2022-23 दिनांक 25.04.2022 के द्वारा श्री योगेश चन्द्र वशिष्ठ, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (वर्तमान सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II) को स्वीकृत प्रथम ए.सी.पी. एवं विभागीय आदेश संख्या 591/2022-23 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा श्रीमती रेणुका स्वामी, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (वर्तमान सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II) को स्वीकृत प्रथम ए.सी.पी. को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है एवं नियमानुसार इनकी वसूली किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त कार्मिकों का यदि तृतीय श्रेणी अध्यापक के वेतन का कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण के समय वेतन संरक्षण (Pay Protection) किया गया है, तो उसकी भी नियमानुसार वसूली करावें।

उक्त आदेश वित्त विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2024-25/अलेसे-II/ 5782

दिनांक:- 25.03.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)